

लोगों की भर्ती केन्द्र से होती है और मंत्री महोदय करते हैं। उन्हें इस के बारे में ध्यान देना चाहिए। जिस गांव में भ्रष्टाचार हुए हैं, वहां तो महाराष्ट्र सरकार जमाना करने वाली है। जिन जिस लोगों का प्रोसीक्यूशन हुआ है क्या उनके खिलाफ मुकदमा वापस नहीं किया जाएगा ?

ये मेरे सवाल हैं।

श्री धनिक लाल मण्डल : मैं माननीय सदस्य के सभी प्रश्नों का जवाब दे चुका हूँ। एक बात उन्होंने कही है जिसका विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि जब से जनता पार्टी की सरकार आई है यह जो रेफ़ेन है यह बहुत दिनों से चला आ रहा है, उनके इस इन्वेस्टिगेशन को मैं दुस्त करना चाहता हूँ। यह जनता पार्टी का प्रश्न नहीं है। गवर्नर साहब हरिजनों के नेता और शुभ चिन्तक हैं। उनको चीज को सही परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिये तभी जा कर इसका सही इंटरप्रेटेशन करेगे। तभी वह उम घटना से ठीक लेसन ले पाएंगे और लोगों के लिए ठीक मार्गदर्शन दे पाएंगे। घटनाओं का ठीक अध्ययन किया जाना चाहिए। एमरजेंसी खत्म हुई। जनता पार्टी की सरकार बनी। तभी से देश में जनतंत्र में निर्भरता का वातावरण बना है, कानून का राज बना है। इससे हरिजन भी निर्भर बने हैं और अपने अधिकारों को गमट कर रहे हैं। इस भूमिका को पहले उनको समझना चाहिये। जनतंत्र की भूमिका को उन्होंने नहीं समझा तो सारी बात व्यर्थ चली जाएगी। जनता पार्टी का मकान नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में इसको आप देखें कि देश में जनता पार्टी ने जनतंत्र को रेस्टोर किया है जिसका कांश्रम ने खत्म कर दिया था। इसको आप ध्यान में रखें तभी आपको पता लगेगा कि इस वातावरण का क्या हरिजन भी लाभ उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं। वे भी उठा रहे हैं और अपने अधिकारों को गमट कर रहे हैं? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हरिजनों के प्रति जनता पार्टी की महानुभूति है। उनको समाज में उचित दर्जा मिले, समता का दर्जा मिले यही जनता पार्टी की मंशा और इच्छा है। जो संघर्ष चल रहा है इसमें देश में समता का वातावरण बनेगा, ऊंच नीच का जो भेद है वह खत्म होगा। आप विश्वास करें कि इसी दिशा में यह चीज चल रही है। सभी का यह प्रयास है कि यह सफल हो और देश में समता का वातावरण बने।

MR. CHAIRMAN: I shall now put the substitute motions to the vote of the House. Dr. Ramji Singh, do you wish to press your substitute motion or withdraw it?

DR. RAMJI SINGH: I would like to withdraw it.

Substitution Motion No. 1 was, by leave, withdrawn.

MR. CHAIRMAN: I shall now put substitute motion No. 2 moved by Shri B. C. Kamble to the vote of the House. The question is:

"That for the original motion, the following be substituted, namely:—

"This House, having considered the situation arising out of the reported large scale disturbances and some killings in Marathwada in Maharashtra State, expresses its great concern and directs the Parliamentary Committee on the Welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, to investigate into the causes of these incidents and to identify those who are responsible for such incidents, and suggest remedies to meet the present situation as well as to suggest such other remedies to prevent recurrence of such incidents in any part of India in future." (2)

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The other two Substitute Motion Nos. 3 and 4 are barred.

17.24 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

RENT CHARGED FROM VENDING CONTRACTORS ON THE RAILWAYS

MR. CHAIRMAN: Now we go on to the Half-an-Hour Discussion. Pandit Tiwary.

श्री द्वारिका नाथ तिवारी : (गोपालगंज) : पूर्वोक्त रेलवे के हर क्षेत्र में कितनी घाघली और गड़बड़ी की जाती है उसकी एक हिस्से को मैं आज प्रकाश में लाना चाहता हूँ। जिस क्षेत्र की ओर आप नजर उठाएँ, वहां पक्ष-पात, घाघली और जुल्म ही आपको दिखाई देगा। छोटे मोटे कर्मचारी कुछ गलत काम करते हैं तो उनका समाधान हो जाता है लेकिन जब

[श्री द्वारिका नाथ तिवारी]

हैड आफ दि डिपार्टमेंट, महाप्रबन्धक श्री क्षेत्रीय प्राक्सिस वहां का ए० डी० एम० प्राडि जब गड़बड़ी करने लगते हैं तब मामला श्रीर बिगड़ जाता है। होता यह है कि जब प्राक्सिस नहीं चाहते कि कोई प्रादमी रेलवे में काम करे तो उसके प्रति हतनी गलत गलत बातें करते हैं जिससे वह प्रादमी खुद छोड़कर चला जाय, पर उसका इलाज कहीं नहीं है। जो अभी वर्तमान प्रश्न है कि विभिन्न स्टेशनों पर रेस्टोरेंट के मकानों का भाड़ा कैसे निर्धारित किया गया, क्यों निर्धारित किया जाता है? मैंने अपने प्रतारंकित प्रश्न संख्या 5445 दिनांक 4. 4. 78 श्रीर पुनः 25. 7. 78 को प्रश्न संख्या 1376 द्वारा यह पूछा था कि मुझे बताया जाय कि बड़े बड़े स्टेशनों पर कितना भाड़ा चार्ज किया जाता है। पहले प्रश्न में तो टाला गया कि संकलित किया जा रहा है और सभा पटल पर रखा जाएगा। संकलित कहां करना था? वह तो एन० ई० धार० के हैडक्वार्टर से 5 मिनट में आ जाता। लेकिन आपने टालना चाहा। जब दूसरा प्रश्न मैंने पूछा तो बड़ा रिबीलिंग उत्तर दिया गया। जो बड़े बड़े स्टेशन हैं जैसे लखनऊ, मोरखपुर, सोनपुर, मुजफ्फरपुर इनमें आप 40 से 70 रु० तक भाड़ा लेते हैं, श्रीर पटना में 35 रु० भाड़ा लेते हैं। श्रीर जो अन्डरग्राउंड स्टेशन है जहां बिन्नी बड़ी कम होती है, बड़े बड़े स्टेशनों पर तो हजारों रु० की बिन्नी होती है, लेकिन महेन्द्रघाट जैसे स्टेशन पर 100 रु० रोज से ज्यादा की बिन्नी नहीं होती है वहां एग्मीट करते बकत 80 रु० प्रति माह भाड़ा निर्धारित किया था। वहां के ठेकेदार ने कहा कि इसका भाड़ा पहले जब रेलवे के तहत में था और जब एक यूनिट में जहाज का अपर डेक भी सम्मिलित था तो आप 40 रु० लेते थे, श्रीर घाटा लगने पर छोड़ दिया, आप चलाने नहीं जा रहे थे, श्रीर कई दिनों तक वहां रेस्टां बन्द रहा। इसके बाद लोगों के कहने पर कि वहां लोग आते जाते हैं, वहां ठहरते तो नहीं हैं, लेकिन चाय पानी करते हैं और इसको बालू कीजिए, न आप से चलता हो तो किमी ठेकेदार को दे दीजिए। आपने पहले ठेकेदार को दिया तो पहले तो आपने प्राधा यूनिट यानि जहाज का अपर डेक हटा लिया और प्राधा यूनिट के लिए आपने 80 रु० भाड़ा रखा। जो पहले 40 रु० दोनों मिला कर होता था, उसका आपने 80 रु० एग्मीट किया। जब ठेकेदार ने यह कहा कि भाड़ा कम होना चाहिए चूंकि प्राधा यूनिट आपने ले लिया। जो नाजायज तरह से आपने ले लिया, वह हमें मिलना चाहिए था क्योंकि किसी रेस्तरां का एक वेंडिंग स्कीयर होता है और वह महेन्द्रघाट का अपर डेक था। रेस्तरां से कहीं नफा नहीं होता है जब तक वेंडिंग न हो। आपने उसे ले लिया। आपने प्रावेदन पत्र नामजूर कर दिया, लेकिन भाड़ा वही रखा। श्रीर प्रावेदन-पत्र देने पर और क्या किया? पहले आपने 1700 रु० भाड़ा लगा दिया। बड़े बड़े स्टेशनों पर तो 40, 50 रु० भाड़ा लेकिन महेन्द्रघाट स्टेशन का 1700 रु० प्रति माह भाड़ा लगा दिया। जब ठेकेदार ने

प्रोटेस्ट किया तो आपने 1249 रु० 50 पैसे किया। आप सोचिए पटना स्टेशन स्टेशन जहां हजारों रु० की बिन्नी रोज होती है वहां तो 35 रु० भाड़ा लगाया है और जहां 100 रु० की बिन्नी है वहां 1249 रु० लगाया है। इसका मतलब यह है कि आप चाहते हैं कि जो ठेकेदार प्राधिकारियों को नहीं खिला पिला सकता क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है वह टिकने न पाए और बड़े बड़े स्टेशनों के ठेकेदार सब रेलवे प्राधिकारियों के हाथ गर्म करते हैं तो वहां आप भाड़ा कम कर देते हैं? और गरीबों का भाड़ा, जो लोगों की हथेली गरम नहीं कर सकता, ज्यादा लगा देते हैं। इसके अनिर्गुण और कोई अर्थ हो ही नहीं सकता है। इसका दूसरा अर्थ तो ही नहीं सकता, एक ही अर्थ हो सकता है कि या आप उसको हटाना चाहते हैं, अपने मन के प्रादमी को लाना चाहते हैं या किसी वजह से आप चाहते हैं कि आपकी खुशामद दगमद करे, कुछ हाथ गर्म करे। (व्यवधान)

भाड़ा किस करने का कोई क्राइटेरिया होता है। वह क्राइटेरिया जो रेलवे ने बनाया है वह डेढ़ परसेंट से 11 परसेंट है लागत पर। ऐसा क्यों किया? इसलिए कि जहां बहुत अधिक बिन्नी हो वहां 11 परसेंट लगाया जा सकता है, लेकिन जहां बिन्नी नहीं होती है, छोटे-छोटे स्टेशन है, वहां डेढ़ परसेंट लगाया जा सकता है। उस हिमाब से महेन्द्रघाट का 35 रु० भाड़ा होना चाहिए, लेकिन आपने बहुत मुम्बत किया कि 1700 रु० से 1250 रु० किया। मिनिस्टर माहब आप सोचिए कि ऐसा क्यों आपके रेलवे में होता है।

एक बात और बताना चाहता हूं कि आपके महाप्रबन्धक वहां के सी० सी० एम० में कुछ नाजायज काम कराना चाहते थे, जब उमने वट स्वीकार नहीं किया तो उसको फोस्टे लीव पर भेजा और गलत काम किसी दूसरे से कराकर 4, 5 दिन बाद फिर उसे बुला लिया। यही समस्या है। रेलवे बोर्ड का सर्कुलर है कि महेन्द्रघाट के माथ जहाज का अपर डेक सम्मिलित है, लेकिन आप लॉग तो स्वार्थ में ग्रन्धे हो जाते हैं, न आप सर्कुलर देखते हैं और न उसके अनुसार चलते हैं, श्रीर बराबर सर्कुलर का पालन नहीं होता है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : 1250 रुपए किराया प्रतिमाह है या साल भर का है?

श्री द्वारिका नाथ तिवारी : 1249 रु० 50 पैसे प्रतिमाह। (व्यवधान)

मैं उदाहरण के लिए एक बात बताना रहा हूं, सबजैकट डिस्कशन का नहीं है, पर आपके महाप्रबन्धक क्या करते हैं हमने जाना जा सकता है। पूर्वांचल में रेलवे का प्राक्षण उठा लिया गया है लेकिन फिर भी वहां प्राक्षण का

पैसा लिया जाता है महाप्रबन्धक के आर्डर से। क्या इतना जल्म कहीं होता है कि पैसेन्जर को आरक्षण तो दिया नहीं जाता है, उसको उठा लिया है फिर भी पैसा ले लिया जाता है। मैं यह उदाहरण इसलिए दिया है कि ज्यादाती करने की प्रवृत्ति महाप्रबन्धक की है।

एक बात मैं यह बताना चाहना हूँ कि कमी भी रागड्वेष से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलता है। आपको न्याय करना होगा। आप यदि राग-ड्वेष से एडमिनिस्ट्रेशन कीजियेगा तो उसमें विकृति प्रायेमी और उससे अष्टाचार बढ़ेगा। इस बात को शायद हमारे एडमिनिस्ट्रेटर लोग समझते नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : यह समझते हैं माल पानी मिलता है।

श्री द्वारिका नाथ तिवारी : दूसरा उदाहरण देता हूँ। मैंने मंत्री जी से कहा था कि 700 से अधिक हाट स्टेशन हैं, पूर्वोत्तर रेलवे में, उसमें 500 के ऊपर कोई लैबी मर चार्ज नहीं लगाया जाता लेकिन 200 से ऊपर हालतों पर आप 6 पैसे हर पैसेन्जर मर चार्ज लगाने हैं। (व्यवधान)

200 स्टेशन पर हर पैसेन्जर के हर टिकट पर 6 पैसे लिया जाता है। एक स्टेशन भी वह जाता है जहाँ का कि भाड़ा 15 पैसे है, उस पर भी 6 पैसे टिकट पर लिया जाता है।

एक माननीय सदस्य : वही बात है कि हर माल मिलेगा 6 आना।

श्री द्वारिका नाथ तिवारी : मैं आपसे अनुरोध करूँगा मिनिस्ट्र माहव, कि एक बात से और सतर्क रहिये। कमनापति त्रिपाठी जी के जमाने में उनके पी० ए० और स्पेशल एग्जिक्ट बड़ी गड़बड़ी कराने थे, जिसमें वह बहन बदनाम हुए। आप लोगों को भी पी० ए० गड़बड़ी करने हैं। श्री शिवनारायण जी कहें, तो मैं उदाहरण दे दूँगा एक नहीं, दस कि कितना उलटा सीधा उनके पी० ए० करते हैं। वे नाजायज काम कराना चाहते हैं। यदि उन की बागडोर नहीं कमिगना तो आप भी गढ़े में गिरिगना और यदि आप का ही मंशा हो तब तो बात ही कुछ और होती है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ कि अगर किसी को नहीं चाहते हैं तो उसको मत रोकिए, लेकिन उसको मताने की और झूठा फंफाने की कोशिश मत कीजिए।

आपके यहाँ विजिलेंस डिपार्टमेंट है। हम ने देखा है इंडिपेंडेंट विजिलेंस डिपार्टमेंट इंदौर गांधी के समय में बग़ा क्या हथकंडा उस समय हुआ। आपके यहाँ विजिलेंस डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट नहीं है। अपने अफसरों के यहाँ दो वर्ष के बाद उन्हें फिर जाना पड़ता है और उन्हीं अफसरों के इशारे पर वे नाचते हैं। तो विजिलेंस

की भी कोई रिपोर्ट हो तो आपको उचित है कि सजा देने के पहले मुजरिम का एक्सप्लेनशन लें और यदि ऐसे नहीं करते हैं, तो इससे बड़ कर दूसरी घांघली क्या हो सकती है? खून के मुकदमें में भी आदमी से पूछा जाता है, गवाही ली जाती है कि तुम ने यह कर्न किया या नहीं। लेकिन आप यह करना नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि विजिलेंस डिपार्टमेंट जो कह दे गलत सलत वही करे। और कैसा विजिलेंस डिपार्टमेंट, कौन लोग हैं? मामूली ग्रेड थो के लोग उसमें जाते हैं, ग्रेड वन के नहीं। वह लोग समझते हैं कि फिर मुझे उसी डी एम के यहाँ और उसी जी एम के यहाँ जाना है, उसके इशारे के मताबिक नहीं करेंगे तो फिर हम से कसर साथ लेगा। इसलिए आप उसको इंडिपेंडेंट बनाइए। जिस को भेजिए उसको कराबर के लिए भेज दीजिए। लियेन यहाँ रख कर आप चाहते हैं कि वह इमानदारी से काम करे तो वह कमी नहीं कर सकता है। इसलिए मैं आप से अनुरोध करूँगा कि आप घांघली को देखिए और मैं समझता हूँ कि मेरे इतना कहने के बाद आप कनिंश होंगे कि नाजायज हुआ है, नाजायज किया गया है और यह नाजायज किया गया है कुछ मतलब से। ऐसे ही नहीं किया गया है। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता लेकिन यह जरूर कहूँगा कि रेलवे का साम्राज्य बहुत बड़ा है। 18 लाख आदमी उसमें काम करते हैं। यह मैं मानता हूँ कि यह संभव नहीं है आपके लिए कि आप हर चीज देख सकें, लेकिन जो आप के ही लोग हैं आप के साथ उन पर तो अंकुश रखिए। अंकुश नहीं तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन बरबाद हो जायगा।

रेल मंत्री (प्र० सद्य बंधवते) : सभापति महोदय, महेन्द्रघाट के भोजनालय का ठेका 8 जून 1976 में श्री सुरेन्द्र मिश्र को दिया गया था। इसके लिए अस्थायी तौर पर 80 रु० प्रति मास किराया निर्धारित किया गया था। वर्तमान नियमों के अनुसार खान-पान स्थापनाओं का किराया हमारे और उपकरणों की व्यवस्था को देखते हुए उन की पूंजीगत लागत के 11 प्रतिशत से अधिक न बढ़ने वाली दर पर निर्धारित किया जाता है। ऐसा करते समय यह भी ध्यान रखा जाता है कि इसी प्रकार के स्टेशनों और वैसे ही स्थापनाओं का किराया तथा बिक्री के अवसरों और अर्ध-अमता के अनुरूप किराया निर्धारित किया जाय।

इस भोजनालय का किराया पूंजीगत लागत के 11 प्रतिशत के आधार पर जून, 1975 में 1249.90 रुपये प्रति मास की दर पर निर्धारित किया गया। जब संसद् सदस्य श्री डी० एन० तिवारी ने किराये में इस भारी वृद्धि की और रेल मंत्रालय का ध्यान दिनाया तो इस किराये

[प्रो० मधु दंडवते]

को बहुत ज्यादा समझा गया और पूर्वोत्तर रेल प्रशासन से कहा गया कि वे इस किराये पर पुनर्विचार करें। मंत्रालय के इस निर्देश पर पूर्वोत्तर रेलवे ने तीन अधिकारियों की एक समिति इस मामले की जांच करने और अपनी सिफारिश देने के लिए नियुक्त की। इस मामले पर आगे विचार किया जा रहा है।

श्री मिश्र ने अभी संशोधित दर पर किराया नहीं दिया है और वे 80 रुपये प्रति मास की अस्थायी दर पर ही किराया दे रहे हैं।

यह तो मेरा बयान है लेकिन उनको फिर मौका न मिले कि वह दोबारा सवाल पूछें इसलिए मैं दो मिनट में एक दो बातें कहना चाहता हूँ। मैं तिवारी जी को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जब उन्होंने मेरा ध्यान खींचा तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े पैमाने पर इतना किराया प्रति मास दिया जाता है और ऐसे कई स्टेशंस हैं कि जहाँ 40, 50, 60, 70 या 80 रुपया दिया जाता है। इसलिये मैंने समझा कि जो उन्होंने शिकायत की है वह ठीक है। तो तीन अप्रमर्गों की एक कमेटी बनायी गई है। उनकी सिफारिशें भी हमारे पास आई हैं। मेरा आग्रह चल कर काम करने का तरीका यह होगा कि इस प्रकार से कोई इन्फ्लेशन रेट न रहे। जिस प्रकार का स्टेशन है उसी आधार पर और क्षमता के आधार पर उसका किराया तय किया जायगा। यह मामला कोर्ट में है, स्ट्रेण्डर दिया गया है।

श्री द्वारिका नाथ तिवारी : किराये का मामला कोर्ट में नहीं है, अगर कोर्ट में होता तो मैं उठाता ही नहीं।

प्रो० मधु दंडवते : मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमारे पास एक कंफ्लेंट आई, एक शिकायत आई जब हमने विजिलेंस की जांच की तो हमारे पास यह जानकारी आई कि जो सर्टिफिकेट उन्होंने अपने अनुभव के बारे में दिया था वह सर्टिफिकेट गलत था इसलिए कौन्सिल का टर्मिनेट किया था। उसके बाद वे कोर्ट में चले गए। कोर्ट ने स्टे आर्डर दे दिया। इसलिए टर्मिनेशन करने का तो कोई सवाल नहीं वह जारी रहा, 80 रु० महीना किराया दे रहे हैं लेकिन आगे चलकर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर रेंट की एक रीजनल पालिसी पूरे देश के लिए करेंगे और जो समान टाइप के, समान कैटेगरी के स्टेशंस होंगे वहाँ पर समान रेंट लगेंगा। यह आश्वासन मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे चलकर यह सवाल उठाने का मौका नहीं मिलेगा।

श्री द्वारिका नाथ तिवारी : मैंने अभी भी ठेके के किस का जिक्र नहीं किया। मैं जानता हूँ जो सब-जुडिस है उसके लिए प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। आपने उठा दिया है। आपको याद

होगा मैंने कई बार आपको लिखा कि अगर विजिलेंस की कोई रिपोर्ट हो तो मुजरिम से एक्सप्लेनेशन माँगिए और कहिए वह अपना दावा साबित करे और अगर ठीक न हो तो जो सजा देनी हो वह सजा दीजिए। इन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि रिपोर्ट आयेंगी। तो मैं आपसे डिसकस करके इस पर आर्डर दूँगा। क्या रिपोर्ट आई मैं नहीं जानता लेकिन बिना मुझ से पूछे, बिना मुझ से राय लिए इन्होंने दूसरा आर्डर पास कर दिया। मैं कहूँगा यह मेरे साथ झींच आफ फेथ था। आपने इसके लिए वायदा किया था पर वायदा रखी नहीं।

MR. CHAIRMAN: Discussion cannot go on in this manner.

PROF. MADHU DANDAVATE: I have already clarified the point 'h' that we are examining this.

और जैसा मैंने इस सदन को आश्वासन दिया है मैं उससे पीछे हट नहीं सकता हूँ।

श्री घुवराज (कटिहार) : मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि पब्लिक सेक्टर में रेलवे सबसे बड़ी इण्डस्ट्री है। रेलवे चलेगी तो जो यात्री चलेंगे उनको खान-पान की आवश्यकता भी होगी। विभिन्न स्टेशंस पर जो स्टेशंस को आप ठेका देते हैं उसकी दरों में भी भिन्नता है। आप दो तरह की खान-पान की दुकानें चलाते हैं—एक तो डिपार्टमेंटल कैटरिंग है, और दूसरे जो लाइसेंस-शुदा ठेकेदार हैं उनके जरिये चलाते हैं। दोनों में आप को लाभ है। डिपार्टमेंटल कैटरिंग से आप को 70-80 लाख रुपये साल में मिलता है और जो लाइसेंस-शुदा ठेकेदार हैं—उन्से 50-60 लाख रुपये मिलता है। एक तरह से ठेकेदार के पाम जो बेचरे काम करते हैं उनको कम पैसा देना पड़े, इसके लिये वे तरह तरह की परकी करेंगे। मैं जानना चाहता हूँ—जब दोनों तरीकों से आप को लाभ है, डिपार्टमेंटल कैटरिंग से भी और लाइसेंस-शुदा ठेकेदारों से भी, तो क्यों नहीं आप तमाम कैटरिंग को डिपार्टमेंट कैटरिंग कर दें, जिससे वहाँ पर काम करने वाले, जो फोर्थ-क्लाम एम्प्लाइज हैं, उनकी नौकरी की सिक्कीरिटी की व्यवस्था हो सके।

प्रो० मधु दंडवते : आध घन्टे की जो चर्चा होती है, वह एक निश्चित सवाल पर होती है। मेरे मित्र ने जो सवाल उठाया है, वह विशाल सवाल है। सारे देश की रेलों पर डिपार्टमेंटलाइजेशन होना चाहिये या नहीं, उसके बारे में मेरी भी एक निश्चित राय है, लेकिन जब तक हम नीति के आधार पर कोई फैसला नहीं करते हैं, तब तक इस सदन में आप सवाल पूछेंगे और उस का जवाब हम देंगे, परन्तु इस सब के लिए एक कारपोरेशन बना देंगे, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता।

MR. CHAIRMAN: Say that is under consideration; it is the usual practice of the government.

PROF. MADHU DANDAVATE: It will be my pleasure to follow your advice. उन्होंने जो सुझाव दिये हैं उस पर विचार करूंगा।

श्री रामचिलास पासवान (हाजीपुर)
सभापति महोदय, मुझे मंत्री महोदय की नीयत पर शंका नहीं है, लेकिन जिस विभाग का वे संचालन कर रहे हैं, उसके अधिकारियों की नीयत पर ज़रूर शंका है। आप भविष्य में ज़रूर करेंगे, वह ठीक है, लेकिन आप के पद ... एक चेन्नर है, उसी तरह से विभिन्न पदाधिकारियों की एक-एक चेन्नर हैं। यह जो बंगलिंग हुआ—कहीं पर 70 रुपया और कहीं 1700 रुपया—किन पदाधिकारियों की संज्ञेयता से ऐसा किया गया? वे कौन अधिकारी थे, जिन्होंने

ऐसा बंगलिंग किया, किस आधार पर किया और क्या इस के लिये आप उन पदाधिकारियों को दण्डित करेंगे?

प्रो० मधु दण्डवते: यह मामला तो वर्षों से चलता आया है, इसलिये मैंने निश्चित किया है कि नई नीति तय करेंगे, साथ-साथ जो गलती हुई है, वह गलती किस ने की है, उसकी भी जांच ज़रूर करावेंगे।

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned till 11 A.M. on the 16th.

19.47 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday, the 16th August, 1978/Sravana 25, 1900 (Saka).